दैनिक
न्याय साक्षी
खबरें खास
रायगढ़, बुधवार, 18 मई 2022
www.nyaysakshi.com

महत्वपूर्ण एवं खास

चोरी का अभियुक्त न्यायालय से फरार, थाना धरमजयगढ़ में एफआईआर दर्ज

रायगढ़। दिनाँक 16.05.2022 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, धरमजयगढ़ के न्यायालय में न्यायालय के दाण्डिक प्रकरण क्रं0 338/19 धारा 457,380 भादवि शासन विरूद्ध बजरंग दास बैरागी वगैरह में आरोपी बजरंग दास बैरागी पिता द्वारिका प्रसाद बैरागी उम्र 30 वर्ष साकिन पुसल्दा थाना छाल पेशी पर आया हुआ था। आरोपी बजरंग दास बैरागी थाना छाल के नकबजनी मामले का अभियुक्त है, जमानत पर था। दिनाँक 16.05.2022 को मामले का निर्णय था जिसमें आरोपी बजरंग दास बैरागी को धारा 457,380 भा.द.सं. में 1-1 वर्ष का साधारण कारावास व 100/-100 /- रूपये जुर्माना से दण्डित किया गया। आरोपी के अधिवक्ता के द्वारा आरोपी को जमानत आवेदन पेश किया गया। अभियुक्त जमानतदार की व्यवस्था करने के लिये न्यायालय से निकला और कहीं भाग गया। कोर्ट स्टाफ द्वारा थाना धरमजयगढ़ में आरोपी के न्यायालय से फरार होने के संबंध में लिखित सूचना आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया, रिपोर्ट पर धारा 224 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

संघ/राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उत्तीर्ण दिव्यांगों को मिलेंगे प्रोत्साहन राशि

रायगढ़। छत्तीसगढ़ शासन समाज कल्याण विभाग द्वारा क्षितिज अपार संभावनाएं अंतर्गत नि:शक्त व्यक्तियों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 40 प्रतिशत या अधिक नि:शक्त व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ का निवासी हो संघ/लोक सेवा आयोग के प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर एक बार एकमुश्त प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। जिसके तहत प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 20 हजार रुपये, मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 30 हजार रुपये एवं संघ/छत्तीसगढ़ लोक सेवा में चयन होने पर 50 हजार रुपये एकमुश्त दिया जाएगा। संघ/राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सम्मिलित जिले के दिव्यांग अभ्यर्थियों के प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने तथा अंतिम स्तर पर चयनित होने उपरांत जीवन में एक बार एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। जिले के मूल निवासी पात्र दिव्यांग अभ्यर्थी योजना से लाभ हेतु जिला कार्यालय समाज कल्याण विभाग, रायगढ़ में संपर्क कर सकते है।

महात्मा गांधी नरेगा कार्य में लापरवाही : उप अभियंता कार्तिकराम कैवत्र्य निलंबित

रायगढ़। सीईओ जिला पंचायत डॉ.रवि मित्तल ने उप संभाग बरमकेला के उप अभियंता कार्तिकराम कैवत्र्य को महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत संचालित कार्यों के प्रति रूचि नहीं लेने, निर्धारित अवधि में सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन नहीं करने, उच्चाधिकारियों के आदेश/निर्देशों की अवहेलना करने के कारण प्रथम दृष्टियां दोषी पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में उन्हें मुख्यालय जनपद पंचायत बरमकेला में अटैच किया गया है।

स्वास्थ्य विभाग में रिक्त संविदा पदों के लिए केवल डिमांड ड्राफ्ट से ही स्वीकृत होंगे आवेदन

रायगढ़। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायगढ़ ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत विभिन्न रिक्त संविदा पदों के लिए 12 से 23 मई 2022 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए है। जिसमें आवेदन करने की प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। जिसके तहत अब केवल डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)के माध्यम से आवेदन शुल्क देय होगा। पूर्व में जारी दिशा-निर्देश की कंडिका क्रमांक 8 में केवल ऑनलाईन के माध्यम से आवेदन शुल्क जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

सहकारी समितियों में ऋणमान से मिलेंगे दलहन-तिलहन के बीज, समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर सिंह ने कहा

रायगढ़। कलेक्टर भीम सिंह ने आज समय-सीमा की बैठक में कहा कि शासन की नयी व्यवस्था के अनुसार अब सोसायटियों (सहकारी समितियों) में दलहन-तिलहन के बीज भी ऋणमान से किसानों को मिलेंगे जिसे वे केसीसी के माध्यम से ले सकेंगे। उन्होंने कृषि अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि इस व्यवस्था का किसानों के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार करें जिससे दलहन-तिलहन लगाने के इच्छुक किसान सहकारी समितियों से ऋण के माध्यम से भी यह बीज प्राप्त कर सकें। कलेक्टर सिंह ने बैठक में पिछले दिनों लगाए गए जनसमस्या निवारण शिविर में प्राप्त आवेदनों पर विभागवार चर्चा की। उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि समय-सीमा के अंदर समस्याओं का अनिवार्य रूप से निराकरण कर लेवे। साथ ही उन्होंने कहा कि आवेदक को भी उसके आवेदन पर की गयी कार्यवाही से भी जरूर अवगत करायें।

कलेक्टर सिंह ने आज बैठक में रायगढ़ नगर निगम के साथ जिले के अन्य नगरीय निकायों में संचालित हो रही शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा लगाए जा रहे मेडिकल कैम्प में डॉक्टर्स की उपस्थिति, गाईड लाईन्स अनुसार टेस्ट व जरूरी दवाईयां आने वाले मरीजों के इलाज के लिए अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो। उन्होंने सभी एसडीएम को उनके क्षेत्रान्तर्गत आने वाले नगरीय निकायों में स्लम स्वास्थ्य योजना के कैम्प का औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने धन्वंतरि मेडिकल स्टोर्स के संचालन की भी समीक्षा की। पुसौर तथा घरघोड़ा में इन मेडिकल स्टोर्स के व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हाट-बाजार क्लीनिक में भी चिकित्सकों की नियमित उपस्थिति हो व निर्धारित मेडिकल जांच व दवाईयां मरीजों को अनिवार्य रूप से मिलनी चाहिए।

कलेक्टर सिंह ने राजीव युवा मितान क्लब के गठन की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के लिए कहा। इसके लिए उन्होंने अब तक प्राप्त नामों का वेरीफिकेशन करवाने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर सिंह ने खाद्य अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि उचित मूल्य की दुकानों में संधारित किए जाने वाले सभी रजिस्टर अद्यतन रूप से भरे हुए हो। कलेक्टर सिंह ने गौठान संचालन की भी समीक्षा की। उन्होंने गोबर खरीदी, वर्मी कम्पोस्ट निर्माण तथा उठाव के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि महिला समूहों का नियमित रूप से भुगतान हो यह सभी संबंधित अधिकारी सुनिश्चित करें।

कलेक्टर सिंह ने इस दौरान निर्माण एजेंसियों के कामकाज की भी समीक्षा की। उन्होंने स्वामी आत्मानंद हिन्दी मीडियम स्कूल के निर्माण कार्य में देरी पर गहरी नाराजगी व्यक्त की और ईई पीडब्लूडी को निर्देशित किया कि बारिश के पहले काम प्रारंभ करवाया जाए। इसी क्रम में उन्होंने एडीबी के तहत चल रहे निर्माण कार्यों के प्रगति के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने ईई एडीबी से कहा कि सारे कार्य तेजी से पूरे किए जाए कही भी किसी भी प्रकार की समस्या आती है जिससे काम प्रभावित हो तो तत्काल उसकी जानकारी दें जिससे समस्या का निराकरण किया जा सके। कलेक्टर सिंह ने बैठक में खनिज अधिकारी को निर्देश दिए कि अवैध रेत उत्खनन पर कार्यवाही जारी रहे, साथ ही बाजार में रेत निर्धारित कीमत पर ही मिले यह भी सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में सीईओ जिला पंचायत डॉ.रवि मित्तल, डीएफओ रायगढ़ सुश्री स्टायलो मंडावी, डीएफओ धरमजयगढ़ अभिषेक जोगावत, आयुक्त नगर निगम संबित मिश्रा, अपर कलेक्टर आर.ए.कुरूवंशी सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

जून से शुरू होंगे ग्राम सचिवालय

कलेक्टर सिंह ने कहा कि ग्राम स्तर पर लोगों की समस्याओं के निराकरण हेतु जिला प्रशासन द्वारा जून माह से ग्राम सचिवालय का आयोजन किया जाएगा। जिसमें विभिन्न विभागों के ग्राम स्तर के कर्मचारी एक निर्धारित दिन पर वहां उपस्थित रहेंगे तथा लोगों से उनकी समस्याओं व मांगों के संबंध में जानकारी लेकर सक्षम प्राधिकारी से उसका निराकरण सुनिश्चित करायेंगे। इसके लिए उन्होंने सभी विभागों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने के लिए कहा। उन्होंने मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत कॉल करने वाले हितग्राहियों को समय-सीमा के भीतर लाभ देने की बात कही।

नक्शा-बटांकन तेजी से पूरा कराएं एसडीएम

कलेक्टर सिंह ने सभी एसडीएम को निर्देश देते हुए कहा कि जिले में नक्शा-बटांकन का कार्य तेजी से पूरा किया जाए। इसकी साथ-साथ ऑनलाईन एन्ट्री भी की जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी पटवारियों को विशेष रूप से निर्देशित करते हुए काम को गति दें।

मोटर सायकल पर महुआ शराब की तस्करी कर रहा आरोपी गिरफ्तार

आरोपी से 40 लीटर शराब और मोटर सायकल जब्त, सरिया पुलिस की कार्यवाई

रायगढ़। पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के दिशा निर्देशन पर अवैध शराब के विरूद्ध कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में दिनांक 16/05/2022 को थाना प्रभारी सरिया उपनिरीक्षक कमल किशोर पटेल के हमराह स्टाफ द्वारा मुखबिर सूचना पर ग्राम टारपाली पिहरा के उत्तर कुमार मिरी घर के सामने शराब रेड कार्रवाई कर आरोपी को मोटर सायकल पर अवैध बिकी के महुआ शराब लाते हुए पकड़ा गया है।

सरिया पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम टारपाली (पिहरा) का उत्तर कुमार मिरी अपने लाल-काला रंग के हीरो एचएफ डिलक्स क्रमांक CG13-AN-9313 में ग्राम पिहरा बस्ती से ग्राम टारपाली (पिहरा) अवैध रूप से अपने महुआ शराब ला रहा है, पुलिस टीम गवाहा लेकर गांव कार्रवाई के लिये पहुंचे और उत्तर कुमार मिरी के घर सामने छिपकर उसके आने का इंतजार कर कार्रवाई किये। आरोपी के पास से परिवहन किया जा रहा 40 लीटर महुआ शराब कीमती 8,000 रूपये एवं HF डिलक्स मोटर सायकल की जप्ती कर आरोपी उत्तर कुमार मिरी पिता झाडुराम मिरी उर्फ टान्टून निवासी टारपाली (पिहरा) थाना सरिया को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। कार्रवाई में प्रधान आरक्षक अर्जुन पटेल, आरक्षक मोहनलाल गुप्ता, दिलीप साह, मोहनलाल पटेल महिला आरक्षक सविता यादव की अहम भूमिका रही है।

तालाब में मछली पकड़ने को लेकर विवाद में मारपीट, ईलाज दौरान घायल की मृत्यु

मर्ग जांच पर थाना केडार में आरोपी पर हत्या का अपराध दर्ज

रायगढ़। दिनांक 17.05.2022 को थाना केडार में मर्ग क्रमांक 02/2022 धारा 174 CrPC के मृतक केशव कुमार सिदार पिता छनीलाल सिदार उम्र 38 वर्ष, निवासी गंजाईभौना थाना केडार की मृत्यु की जांच पर आरोपी हरिलाल सारथी निवासी ग्राम अमोदी द्वारा डंडे से मारपीट कर चोट पहुंचाने से आहत केशव की मृत्यु होना पाये जाने एवं पीएम रिपोर्ट पर मृत्यु की प्रकृति "हत्यात्मक" होना लेख होने पर आरोपी पर हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। घटना के संबंध में दिनांक 08/05/2022 के रात्रि ग्राम गंजाईभौना का हेमसिंग सिदार पिता झाडुराम सिदार उम्र 48 वर्ष मर्ग इंटिमेशन रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 02.05.2022 को करीब 10/30 बजे रात्रि में गांव के टार तालाब के पास गांव के भोगसिंग, केशव कुमार बैठे थे। उसी समय गावं का गब्बरसिंग ऊर्फ झण्डुसिंग टार तालाब से मछली मारकर रास्ता में आ रहा था जिसे केशव कुमार सिदार बोला कि तालाब में मछली क्यों पकड रहे हो तालाब में कम पानी है गन्दा हो जाता है। उसी बात को लेकर केशव कुमार सिदार, भोगसिंग सिदार और गब्बर ऊर्फ झंडु झगड़ा हो रहे थे, हो-हल्ला सुनकर गब्बर ऊर्फ झंडु के घर में रहने वाला हरिलाल सारथी डंडा लेकर आया और केशव कुमार के सिर में डंडा से मारपीट किया। मारपीट करने से केशव कुमार के सिर में 2-3 जगह चोट आया था। प्रारंभिक ईलाज के बाद दिनांक 07.05.2022 को केशव को ईलाज के लिये बिलाईगढ, बलौदाबाजार ले गये जहां से उसे रायपुर एम्स अस्पताल रिफर किया गया ईलाज के दौरान दिनांक 08.05.2022 के शाम केशव ने दम तोड़ दिया। मर्ग जांच, पीएम रिपोर्ट पर आरोपी हरिलाल सारथी निवासी ग्राम अमोदी के द्वारा डंडा से मारपीट से ईलाज के दौरान केशव सिदार की मृत्यु होना पाये जाने पर आरोपी के विरूद्ध धारा 302 IPC का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, आरोपी घटना के बाद से फरार है।

मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान में इस बार मलेरिया के साथ-साथ टीबी, मोतियाबिंद और स्केबीज की भी घर-घर जांच

अभियान के असर से मलेरिया पॉजिटिविटी दर 4.6 से घटकर पांचवें चरण में 0.79 पर पहुंची

रायपुर (आरएनएस)। मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का छटवां चरण आज से बस्तर संभाग में शुरू किया गया। अभियान के तहत इस बार मलेरिया के साथ-साथ टीबी, मोतियाबिंद और स्केबीज की भी जांच की जाएगी और पीड़ितों को तत्काल इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ द्वारा बस्तर संभाग के सभी सात आकांक्षी जिलों के सभी 32 विकासखंडों में 16 जून तक यह अभियान संचालित किया जाएगा। इस दौरान 35 लाख से अधिक लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर मलेरिया, टीबी, मोतियाबिंद और स्केबीज की स्क्रीनिंग की जाएगी।

मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के अंतर्गत घर-घर जाकर जांच के लिए गठित दलों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों, मितानिन प्रशिक्षकों, सीएचओ (सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी), मितानिनों एवं टीबी मितानों को शामिल किया गया है। अभियान के तहत आरडी किट के माध्यम से मलेरिया की जांच की जा रही है। पॉजिटिव पाए जा रहे लोगों को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध खाद्य पदार्थ खिलाकर तत्काल मलेरिया के इलाज के लिए दवाई का सेवन कराया जा रहा है। टीबी के लक्षणों के आधार पर संभावित मरीजों की स्क्रीनिंग की जा रही है तथा इसकी दवाई लेने वाले मरीजों की लाइन लिस्ट भी तैयार की जा रही है। टीबी के संदेहास्पद मरीजों के बलगम की जांच वालंटियर के माध्यम से निकटतम टेस्टिंग सेंटर में करवाई जाएगी। टीबी पॉजिटिव पाए जाने पर एनटीईपी स्टॉफ के सहयोग से मरीज का त्वरित उपचार प्रारंभ किया जाएगा।

अभियान के अंतर्गत मोतियाबिंद के संदेहास्पद मरीजों की जांच एवं उनके बारे में जानकारी एकत्रित कर संबंधित सुपरवाइजर के माध्यम से खंड चिकित्सा अधिकारी को दी जाएगी। स्केबीज के भी संदेहास्पद मरीजों की जांचकर तत्काल उपचार प्रदान किया जाएगा। इसके रोगियों की सूची भी तैयार की जाएगी। जांच दलों द्वारा स्केबीज बीमारी के लक्षणों का व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ में मलेरिया से सबसे ज्यादा प्रभावित बस्तर संभाग में मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के पहले पांच चरणों का व्यापक असर दिखा है। पूर्व में मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान के नाम से संचालित इस अभियान के प्रभाव से वहां एपीआई यानि प्रति एक हजार की आबादी में सालाना मिलने वाले मलेरिया के मरीजों की संख्या में बड़ी कमी आई है। अभियान के प्रथम चरण में जहां मलेरिया पाजिटिविटी दर 4.6 थी वह घटकर पांचवें चरण में 0.79 रह गई है।

जनवरी-फरवरी-2020 में बस्तर संभाग के सातों आकांक्षी जिलों में मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान का पहला चरण संचालित किया गया था। उसी साल जून-जुलाई में मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान का दूसरा चरण संचालित किया गया। मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान की सफलता को देखते हुए इसका तृतीय चरण दिसम्बर-2020 व जनवरी-2021 में बस्तर संभाग के साथ-साथ सरगुजा संभाग के 26 विकासखण्डों में भी संचालित किया गया। चतुर्थ चरण में बस्तर और सरगुजा संभाग के साथ प्रदेश के 21 जिलों के 85 विकासखण्डों तक इसे विस्तारित किया गया। अभियान का पंचम चरण बस्तर संभाग के सभी सातों जिलों में संचालित किया गया।

एनटीपीसी लारा परियोजना के पात्र भू-विस्थापित को मिलेंगे रोजगार

रायगढ़। जिला रोजगार अधिकारी, रायगढ़ ने जानकारी देते हुए बताया कि एनटीपीसी लारा परियोजना के पात्र भू-विस्थापित के लिए एनटीपीसी पश्चिमी क्षेत्र रायपुर के द्वारा रिक्तियों की पूर्ति हेतु अधिसूचना प्राप्त हुयी है। अतएव प्रभावित क्षेत्र के ग्राम-आरमुड़ा, बोड़ाझरिया, छपोरा, देवलसुर्रा, झिलगीटार, कांदागढ़, लारा, महलोई एवं रियापाली के योग्यताधारी आवेदक 31 मई 2022 तक जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र रायगढ़ में अनिवार्य रूप से रोजगार पंजीयन करवा ले, ताकि पंजीकृत तथा पात्र आवेदकों की सूची तैयार कर नियुक्ति हेतु प्रेषित की जा सके। निर्धारित तिथि के पश्चात आवेदकों का नाम सम्प्रेषण किया जाना संभव नहीं होगा।

एनटीपीसी लारा पश्चिमी क्षेत्र रायपुर में आईटीआई इलेक्ट्रीशियन (ट्रेनी) अंतर्गत अजा के 2, अजजा के 6 एवं अनारक्षित 3 शामिल है। जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता 10 वीं उत्तीर्ण आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड (नियमित अध्ययन)एनसीव्हीही/एससीव्हीटी मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है। इसी तरह आईटीआई फिटर (ट्रेनी) अंतर्गत अजा के 1 पद जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता 10 वीं उत्तीर्ण आईटीआई फिटर ट्रेड (नियमित अध्ययन)एनसीव्हीही/एससीव्हीटी मान्यता प्राप्त, असिस्टेंट (जनरल) (ट्रेनी)अंतर्गत अजजा के 5 पद जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता स्नातक उत्तीर्ण (नियमित अध्ययन) मान्यता प्राप्त विवि से तथा लैब असिस्टेंड (रसायन) (ट्रेनी)अंतर्गत अजजा के 2 पद जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता बीएससी (रसायन) (नियमित अध्ययन)मान्यता प्राप्त विवि से होना अनिवार्य है। एनटीपीसी लारा पश्चिमी क्षेत्र रायपुर अंतर्गत डिप्लोमा इंजीनियर इलेक्ट्रिकल (ट्रेनी) अंतर्गत अजजा के एक पद जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रानिक्स इंजी. (नियमित अध्ययन)एआईसीटीई/बीटीई से मान्यता प्राप्त एवं डिप्लोमा इंजीनियर मेकेनिकल (ट्रेनी)अंतर्गत अजजा के 2 पद रिक्त है, जिसके लिए डिप्लोमा मेकेनिकल (नियमित अध्ययन)एआईसीटीआई/बीटीई से मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है।

जागरुकता कार्यक्रम में एसडीओपी खरसिया ने रहवासियों को बताई साइबर क्राईम और महिलाओं के अधिकार

रायगढ़। दिनांक 17/05 /22 को थाना खरसिया क्षेत्रअंतर्गत ग्राम चोढा में खरसिया पुलिस द्वारा आयोजित "पुलिस जन चौपाल" कार्यक्रम में पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खरसिया श्रीमति निमिषा पाण्डेय द्वारा वर्तमान में हो रहे विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन फ्रॉड जैसे मोबाइल पर फेक कॉल, सोशल मीडिया से जुडे अपराध, एटीएम कार्ड, KYC अपडेट के नाम पर आने वाले कॉल के संबंध में जानकारी देकर ऐसे कॉल पर अपनी कोई निजी जानकारी नहीं देने कहा गया और न ही अंजान व्यक्ति के कहने पर कोई मोबाइल ऐप डाउनलोड करें या कोई अंजान लिंक को क्लिक करें।

उपस्थित महिला और बच्चों को एसडीओपी द्वारा महिला सबंधी अपराधों, गुड टच बैड टच तथा मुआवजा,विधिक संबंधी जानकारियां दी तथा रहवासियों को गांव में फेरी वालों, जेवर सफाई करने वालों से सावधान रहने कहा गया। एसडीओपी द्वारा यातायात नियमों का पालन करने तथा जुआ- सट्टा, शराब के व्यसन से दूर रहने एवं झगड़ा विवाद में न पड़कर डॉयल 112 या थाना प्रभारी खरसिया को कॉल कर पुलिस सहायता लेने कहा गया । चौपाल में काफी संख्या में ग्रामीणों के साथ थाना खरसिया के प्रधान आरक्षक लक्ष्मी नारायण राठौर आरक्षक राजेश राठौर की उपस्थित थे।

ऋणी व अऋणी कृषक उद्यानिकी फसलों के लिये 15 जुलाई तक करा सकते है बीमा

रायगढ़। सहायक संचालक उद्यान ने जिले के समस्त उद्यानिकी फसल उत्पादन कर रहे कृषकों को सूचित करते हुए कहा कि टमाटर, बैगन, अमरूद, केला, पपीता, मिर्च एवं अदरक में खरीफ वर्ष 2022-23 अंतर्गत पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लागू की गई है। जिले के ऋणी व अऋणी कृषक 15 जुलाई 2022 तक लोक सेवा केन्द्र, बैंक शाखा, सहकारी समिति या बीमा कंपनी बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क कर अपने उद्यानिकी फसलों का बीमा करवा सकते है, इसके लिए बीमा कंपनी के राज्य स्तरीय प्रतिनिधि अमीर खुरशिव मोबा.नं. 9910946528 एवं जिला स्तरीय प्रतिनिधि दुश्यंत यादव मोबा.नं. 9399863741 से संपर्क कर सकते है।

उल्लेखनीय है कि इस योजना में सभी अऋणी कृषक (भूधारक एवं बटाईदार)जो इस योजना में शामिल होने के इच्छुक है, ऐसे कृषकों को घोषणा पत्र के साथ फसल बुआई प्रमाण-पत्र अथवा प्रस्तावित फसल बोने के आशय का स्वघोषणा पत्र सहित संबंधित अन्य अनिवार्य दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। चयनित उद्यानिकी फसलों का बीमा कराये जाने के लिये किसानों को उन फसलों के लिए निर्धारित ऋणमान का 5 प्रतिशत राशि के रूप में देना होगा, शेष प्रीमियम की राशि 50-50 प्रतिशत राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाएगा।

ऋणी कृषक जो योजना में शामिल नहीं होना चाहते है, उन्हें भारत सरकार द्वारा चयन प्रपत्रानुसार हस्ताक्षरित घोषणा पत्र बीमा आवेदन की अंतिम तिथि के 7 दिवस के पूर्व तक संबंधित वित्तीय संस्थान में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। निर्धारित समय-सीमा में हस्ताक्षरित घोषणा पत्र जमा नहीं करने पर संबंधित बैंक द्वारा संबंधित मौसम (खरीफ)के लिए स्वीकृत/नवीनीकृत की गई अल्पकालीन कृषि ऋण को अनिवार्य रूप से बीमाकृत किया जावेगा। खरीफ मौसम अंतर्गत टमाटर के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 01 लाख रुपये एवं कृषक अंश राशि प्रति हेक्टेयर 5 हजार रुपये निर्धारित की गई है। इसी तरह बैगन के लिए बीमित राशि 70 हजार रुपये एवं कृषक अंश राशि 3500 रुपये, अमरूद के लिए बीमित राशि 40 हजार रुपये एवं कृषक अंश राशि 2 हजार रुपये, केला के लिए बीमित राशि 01 लाख 50 हजार रुपये एवं कृषक अंश राशि 7 हजार 500 रुपये, पपीता के लिए बीमित राशि 01 लाख 10 हजार रुपये एवं कृषक अंश राशि 5 हजार 500 रुपये, मिर्च के लिए बीमित राशि 80 हजार रुपये एवं कृषक अंश राशि 4 हजार रुपये तथा अदरक के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 01 लाख 30 हजार रुपये तथा कृषक अंश राशि प्रति हेक्टेयर 6 हजार 500 रुपये निर्धारित है।

किसानों को विपरित मौसम जैसे कम तापमान, अधिक तापमान, अधिक वर्षा, कम वर्षा, बेमौसम वर्षा, कीट एवं व्याधिक प्रकोप के अनुकूल मौसम, वायु गति से फसलों को होने वाली क्षति से फसल बीमा का लाभ प्राप्त होगा। खरीफ मौसम के टमाटर, बैगन, अमरूद, केला, पपीता, मिर्च एवं अदरक फसल हेतु ओलावृष्टि हवाएं की स्थिति में कृषक इसकी सूचना सीधे बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर 1800-209-5959 पर या लिखित रूप में 72 घंटे के भीतर संबंधित बैंक, स्थानीय राजस्व, उद्यानिकी, कृषि अधिकारी अथवा जिला उद्यान अधिकारी को बीमित फसल के ब्यौरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति का कारण सहित सूचित करेगा। संबंधित संस्था एवं विभाग 48 घंटे के भीतर कृषकों को प्राप्त जानकारी (बीमित फसल के ब्यौरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति के कारण सहित) बीमा कंपनी को प्रदान करेंगे। बीमा कंपनी द्वारा जिले में 42 स्थानों पर स्वचलित मौसम स्टेशन स्थापित किया गया है, जिससे प्राप्त मौसम संबंधी आंकड़ों के आधार पर ही बीमा दावा का भुगतान किया जाता है। कृषक द्वारा लगाये गये फसल का केवल एक बार ही बीमा आच्छादन का लाभ ले सकता है। एक रकबे को एक से अधिक बार बीमा होने की स्थिति में बीमा कंपनी द्वारा ऐसे सभी दावों को निरस्त कर दिया जावेगा।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480